न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 611/2020

अनवान : –

1. कनीराम पुत्र भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी पीली मन्दौरी तहसील व जिला फतेहाबाद।

– वादीगण

बनाम्

1. भजाराम पुत्र जीताराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. विजयसिंह पुत्र भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सीताराम पुत्र भजाराम जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता शान्ति पत्नी भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा **वादीगण**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 2/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता सं0 213/86 की कुल 5.7510है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने अपना जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 सम्मन पेश होने के बावजूद भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी स0 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने वाद के समर्थन में संवत् 2074–2077 ईएक्सपी–1 संवत् 2070–2073 ईएक्सपी–2, मृत्यु प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:00 IST
Reason: SelfAttested

पत्र बादू देवी, आधार कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये। प्रतिवादी सं0 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। साक्ष्य वादी में वादी कनीराम के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाने चाहते है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर जवाब दावा पेश किया है। ली। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता सं0 213/86 की कुल 5.7510है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दाद्रालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 भजाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 3 के सम्मन पेश होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी । प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा जवाब दावा पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई एतराज नही है। इस प्रकार वादी वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता सं0 213/86 के खसरा न0 33/3, 37/2, 38/2, 38/5, 45/10 की कुल 5.7510है0 भूमि, में वादी स0 1 कनीराम, वादी स0 2 इन्द्राज, वादी स0 3 सरोज व प्रतिवादी स0 1 भजाराम, प्रतिवादी स0 2 विजयसिंह, प्रतिवादी स0 3 सीताराम को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/23..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 611/2020

अनवान : —

1. कनीराम पुत्र भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी पीली मन्दौरी तहसील व जिला फतेहाबाद।

— वादीगण

बनाम्

1. भजाराम पुत्र जीताराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. विजयसिंह पुत्र भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सीताराम पुत्र भजाराम जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता शान्ति पत्नी भजाराम जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा व वकील प्रतिवादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता सं0 213/86 के खसरा न0 33/3, 37/2, 38/2, 38/5, 45/10 की कुल 5.7510है0 भूमि, में वादी स0 1 कनीराम, वादी स0 2 इन्द्राज, वादी स0 3 सरोज व प्रतिवादी स0 1 भजाराम, प्रतिवादी स0 2 विजयसिंह, प्रतिवादी स0 3 सीताराम को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.12.23..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:00 IST
Reason: SelfAttested